ग्राम पंचायत कथोग, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.21 से 31.03.23
भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कथोग, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, इस विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्रीमती घूमा देवी	01-04-2021 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री बुद्धि सिंह	01-04-2021 से 27-10-2021 तक
2	श्री सूरज सिंह	28-10-2021 से 31-03-2023 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कथोग के लेखाओं अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.15
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	14.20
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	0.84
4	6(ख)	विवाह पंजीकरण शुल्क न वसूलने बारे	0.06
5	9(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.52

6	9(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	**0.22**
7	9(ग)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	**4.40**

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत कथोग, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17-01-2024 से 29-01-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2021-22	01/22	01/22
2022-23	07/22	08/22

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत कथोग, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-53 दिनांक 29.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत कथोग, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्वः स्त्रौत व अन्य अनुदान:-** ग्राम पंचायत कथोग, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्वः स्त्रौत व अनुदानों की वितीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	194376.16	1831893	2026269.16	1818025	208244.16
2022-23	208244.16	3084638	3292882.16	2924004	368878.16

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **368878.16**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2023
H.P State cooperative bank,joginder padhar	34710100736	Own source & other head	341786.16
H.P State cooperative bank,joginder padhar	34710109035	Csc	1498
H.P State cooperative bank,joginder padhar	34710108337	14th fc	8
State bank of india, katipari	11589825929	SBCHQ-IND-RURAL	41070.24
			384362.40

Bank Reconicilation as on 31-03-2023	
Balance as per cash book	**368878.16**
Balance as per Pass book	**384362.40**
Net Difference	**15484.24**

(ii) **15 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत कथोग के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	378465	668794	1047259	0	1047259
2022-23	1047259	2064307	3111566	2059863	1051703

बैंक समाधान विवरणी :-

Bank Reconicilation as on 31 03-23	
Balance as per cash book	1051703
Balance as per Pass book a/c 34710108337	**1051703**
Net Difference	**nill**

(iii) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	0	**6081575.82**	0	**6081575.82**	**6081575.82**	0
2022-23	0	**11256468**	0	**11256468**	**11256468**	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.15 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹15484.24** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत कथोग के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था। अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹14.20 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत कथोग द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान (368878.16 + 1051703) ₹14,20,581.16 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i), 4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत कथोग द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.84 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत कथोग के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ग)** अनुसार **₹ 84,300** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 0.06 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत कथोग द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.2023 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹4800/-** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	मुखिया का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि	प्राप्त राशि	अन्तर की राशि
1	nill	nill	इन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मंघरू	11.03.21	06.04.21	200	nill	200
2	nill	nill	धनिराम सुपुत्र श्री गुरुदयाल	02.06.21	07.07.21	400	nill	400
3	nill	nill	करम	02.07.21	27.07.21	200	nill	200

			सिंह					
4	nill	nill	राम सिंह सुपुत्र श्री शुंकू राम	08.05.21	27.07.21	400	nill	400
5	nill	nill	बेसर राम सुपुत्र श्री शाडु	19.07.21	24.08.21	400	nill	400
6	nill	nill	निर्मला देवी पत्नी श्री रमेश	05.07.21	07.09.21	400	nill	400
7	nill	nill	नुपी पत्नी श्री पुलकु	not mention	09.09.21	200	nill	200
8	nill	nill	नुपी पत्नी श्री पुलकु	25.08.21	09.09.21	200	nill	200
9	nill	nill	नुपी पत्नी श्री पुलकु	25.08.21	09.09.21	200	nill	200
10	nill	nill	भीम सिंह सुपुत्र श्री हरी सिंह	28.06.21	14.09.21	400	nill	400
11	nill	nill	सौजू राम सुपुत्र श्री परस राम	01.02.22	19.02.22	200	nill	200
12	nill	nill	जीत लाल सुपुत्र श्री किरात लाल;	01.02.22	19.02.22	200	nill	200
13	nill	nill	लाल सिंह सुपुत्र श्री भाटकू	23.02.22	24.02.22	200	nill	200
14	nill	nill	रूप लाल सुपुत्र श्री जेठु राम	22.06.22	11.07.22	200	nill	200
15	nill	nill	सावला सुपुत्र श्री बुटू	02.03.22	11.07.22	400	nill	400
16	nill	nill	पूर्ण चंद सुपुत्र श्री लजु	31.08.22	02.09.22	200	nill	200
17	nill	nill	हेम राज सुपुत्र श्री चेतरु	15.09.22	28.09.22	200	nill	200
18	nill	nill	खेम सिंह सुपुत्र श्री गंगू	29.08.22	28.09.22	200	nill	200
19	nill	nill	प्रकाश चंद सुपुत्र श्री राम सिंह	16.11.22	23.11.22	200	nill	200

20	nill	nill	लाल सिंह सुपुत्र श्री भाटकू	21.12.22	07.01.23	200	nill	200
21	nill	nill	योग राज	21.11.22	07.01.23	400	nill	400
22	nill	nill	भविन्दर सिंह	08.12.22	07.01.23	200	nill	200
23	nill	nill	भाग सिंह	08.03.23	23.03.23	200	nill	200
								6000

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-43 दिनांक 18.01.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नही दोहराया नही जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

7. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतगर्त प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन न करना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रथक्करण, संग्रहण, धुलाई, भण्डारण और पुर्नचक्रण योग्य भाग को पंजीकृत एजेंसियों को भेजना। प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने पर रोक लगाना तथा सभी हित धारकों में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है।

कार्य योजना में ग्राम स्टार पर प्लास्टिक कचरे का भंडारण, संग्रह एवं एकत्रण केन्द्रों की स्थापना तथा इन केन्द्रों से प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक या जिला स्तर पर ले जाना जहाँ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किये जायेंगे। जिले के स्क्रैप व्यापारियों की सूची बनाई जाएगी और इसे इस योजना में शामिल किया जायेगा तथा कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाएगा। ग्राम पंचायत कथोग, विकासखण्ड द्रंग जिला मंडी (हि०प्र०) में लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन स्तरों पर अर्थात घरेलू स्तर, संस्थान, स्वस्थ देखभाल केंद्र, वाणिज्यक क्षेत्र और बाजारों में सृजीत कचरे (प्रकार और मात्रा) का कोई आकलन नहीं किया गया था।

इस स्थिति में प्लास्टिक कचरे का ग्राम पंचायत क्षेत्र में न तो संग्रहण किया जा रहा है और न ही प्लास्टिक को खुले में जलाने पर कोई रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया गया था | ग्राम पंचायत के पास जिले मंडी के स्क्रैप व्यापारियों की कोई सूची भी नहीं थी तथा सभी हितधारको में उनकी

जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था | ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 4 स्वयं सहायता समूह है लेकिन उनकी मदद भी किसी प्रकार से प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए नहीं ली गई थी ।

इसके अतिरिक्त खण्ड विकास कार्यालय मंडी द्वारा वर्ष 2023 में एक लाख रुपये ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए अनुमोदित किये गए थे जोकि व्यय किया जा चूका है । अतः प्लास्टिक कचरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिको द्वारा खुले में फेंका जा रहा है या जलाया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन से सम्बन्ध दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है तथा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पालन में ग्राम पंचायत की विफलता दर्शाता है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-47 दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कथोग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था,जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन नहीं करवाया जा रहा है जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार करवाया जाएगा व लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

8. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचातय द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत कथोग, विकास खण्ड द्रंग, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर फिटिंग ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे बेडशीट,फर्नीचर,फिटिंग, प्रिंटर, कम्प्युटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई अप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था । अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त अप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज

मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या %डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-48 दिनांक 23.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कथोग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा रष्ट्रिय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशानिर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपपतियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

9. (क). आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 0.52 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री रैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 51109.82 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विवरण **परिशिष्ट (घ) में संलग्न है।**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-45 दिनांक 19.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कथोग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.22 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत कथोग द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 21838 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्राबधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था। जिसका विवरण **परिशिष्ट(ङ) में संलग्न है।**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-44 दिनांक 19.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कथोग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

(ग) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.40 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा बर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹440504 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	10979/23.03.22	general head	durga sales corporation near sbi bank padhar vpo & tehsil padhar distt mandi	TMT Bar	78200
2	11303/13.04.22	general head	durga sales corporation near sbi bank padhar vpo & tehsil padhar distt mandi	TMT Bar	26700
3	168/27.06.22	general head	pashakot timber vill kothi post office & tehsil padhar distt mandi	window & chowkhat	20556
4	169/27.06.22	general head	pashakot timber vill kothi post office & tehsil padhar distt mandi	door & window sutter	23128
5	11492/06.06.22	planning head	durga sales corporation near sbi bank padhar vpo & tehsil padhar distt mandi	TMT Bar	291920
					440504

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-46 दिनांक 20.01.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत कथोग के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)

7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. लघु आपति विवरणिकाः-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. निष्कर्षः-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

30 MAR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 30.03.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

1669 – 1873

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 147/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत कथोग, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 30.03.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ठ-(क),
पैरा संख्या- 5(i)

Financial position of Own source & other grant in aids of Gram Panchyat kathog					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	194376.16	1831893	2026269.16	1818025	208244.16
2022-23	208244.16	3084638	3292882.16	2924004	368878.16

Secretary
Gram Panchyat Kathog
Block Drang Distt. Mandi

परिशिष्ठ -(ख)

पैरा संख्या- 4 (ii)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat KATHOG					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	378465	668794	1047259	0	1047259
2022-23	1047259	2064307	3111566	2059863	1051703

Secretary
Gram Panchyat Kathog
Block Orang Distt. Mandi

परिशिष्ट-(ग)
पैरा संख्या-6 (क)

(18)

01/04/2021 से 31/03/2023 तक ग्राम पंचायत कथोग की गृहकर की रिपोर्ट -:

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	O. B.	गृहकर दर	डिमांड	O.B. +डिमांड	वसूल की राशि राशि	शेष राशि
2021-22	430	40700-00	50-00	21500-00	62200-00	------	62200-00
2022-23	446	62200-00	50-00	22300-00	84500-00	200-00	84300-00

17/1/24
Secretary
Gram Panchyat Kathog
Block Drang Distt. Mandi

15

परिशिष्ट - (ज)

पैरा संख्या - 9(क)

Detail of Royalty →

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	सामान्य निधि									
1	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	वाउचर संख्या 8	रेत	30780	513	14.52	1.62	23.52	60	1411.14
2	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	वाउचर संख्या 8	बजरी	12300	205	5.80	1.52	8.82	60	529.10
3	वी के एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर बल्ह तहसील पधर जिला मंडी	422/25-03-22	रेत	42066	513	14.52	1.62	23.52	80	1881.52
4	वी के एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर बल्ह तहसील पधर जिला मंडी	422/25-03-22	बजरी	34030	415	11.74	1.52	17.85	80	1428.13
5	वी के एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर बल्ह तहसील पधर जिला मंडी	271/20.11.20	रेत	12375	165	4.67	1.62	7.56	60	453.88
6	वी के एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर बल्ह तहसील पधर जिला मंडी	271/20.11.20	बजरी	11550	165	4.67	1.52	7.10	60	425.86
	मनरेगा									
7	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	067/12.07.22	रेत	34000	400	11.32	1.62	18.34	80	1467.07
8	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	125/12.07.22	बजरी	29495	347	9.82	1.52	14.93	80	1194.12
9	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	071/12.07.22	रेत	38250	450	12.74	1.62	20.63	80	1650.46
10	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	059/20.06.22	रेत	51000	600	16.98	1.62	27.51	80	2200.61
11	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	114/21.06.22	बजरी	40800	480	13.58	1.52	20.65	80	1651.81
12	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	066/23.06.22	रेत	14450	170	4.81	1.62	7.79	80	623.51
13	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	063/23.06.22	रेत	25500	300	8.49	1.62	13.75	80	1100.30
14	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	124/12.07.22	बजरी	76925	905	25.61	1.52	38.93	80	3114.36
15	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	064/23.06.22	रेत	57800	680	19.24	1.62	31.18	80	2494.02
16	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	119/21.06.22	बजरी	110500	1300	36.79	1.52	55.92	80	4473.66
17	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	065/23.06.22	रेत	33235	391	11.07	1.62	17.93	80	1434.06
18	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	120/21.06.22	बजरी	59245	697	19.73	1.52	29.98	80	2398.57
19	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	125/12.07.22	बजरी	29495	347	9.82	1.52	14.93	80	1194.12
20	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	114/21.06.22	बजरी	40800	480	13.58	1.52	20.65	80	1651.81

21	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	115/21.06.22	बजरी	46750	550	15.57	1.52	23.66	80	1892.70
22	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	121/21.06.22	बजरी	7650	90	2.55	1.52	3.87	80	309.72
23	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	113/21.06.22	बजरी	62050	730	20.66	1.52	31.40	80	2512.13
24	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	116/21.06.22	बजरी	106250	1250	35.38	1.52	53.77	80	4301.60
25	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	117/21.06.22	बजरी	106250	1250	35.38	1.52	53.77	80	4301.60
26	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	122/21.06.22	बजरी	46920	552	15.62	1.52	23.74	80	1899.59
27	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	124/12.07.22	बजरी	76925	905	25.61	1.52	38.93	80	3114.36
	कुल योग									**51109.82**

परिशिष्ट-(ड़)
पैरा संख्या- 9(ख)

Detail of TDS ⇒

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	प्लानिंग हैड					
1	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	043/07.10.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
2	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	044/07.10.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
3	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	045/07.10.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
4	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	046/07.10.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
5	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	047/07.10.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
6	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	051/22.10.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
7	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	052/22.10.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
8	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	053/22.10.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
9	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	060/21.12.21	जेसीबी कटिंग	29700	1.00%	297.00
10	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	064/25.01.22	जेसीबी कटिंग	121000	1.00%	1210.00
11	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	054/23.10.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
12	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	056/23.10.21	जेसीबी कटिंग	36300	1.00%	363.00
13	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	066/10.02.22	जेसीबी कटिंग	148500	1.00%	1485.00
14	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	058/18.11.21	जेसीबी कटिंग	49500	1.00%	495.00
15	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	059/18.11.21	जेसीबी कटिंग	27500	1.00%	275.00
16	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	057/31.10.21	जेसीबी कटिंग	34100	1.00%	341.00
17	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	069/23.03.22	जेसीबी कटिंग	121000	1.00%	1210.00
18	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	061/21.12.21	जेसीबी कटिंग	10450	1.00%	104.50
19	राजू राम सरकारी ठेकेदार गाँव टिक्कर डाकघर सधार तहसील पधर जिला मंडी	065/31.01.22	जेसीबी कटिंग	66000	1.00%	660.00
	मनरेगा					
20	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	067/12.07.22	रेत	34000	1.00%	340.00
21	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	125/12.07.22	बजरी	29495	1.00%	294.95
22	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	071/12.07.22	रेत	38250	1.00%	382.50
23	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	059/20.06.22	रेत	51000	1.00%	510.00
24	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	114/21.06.22	बजरी	40800	1.00%	408.00

25	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	066/23.06.22	रेत	14450	1.00%	144.50
26	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	063/23.06.22	रेत	25500	1.00%	255.00
27	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	124/12.07.22	बजरी	76925	1.00%	769.25
28	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	064/23.06.22	रेत	57800	1.00%	578.00
29	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	119/21.06.22	बजरी	110500	1.00%	1105.00
30	सुख राम सरकारी ठेकेदार गाँव धर्मेहर डाकघर जटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी	065/23.06.22	रेत	33235	1.00%	332.35
31	**सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी**	120/21.06.22	बजरी	59245	1.00%	592.45
32	**सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी**	125/12.07.22	बजरी	29495	1.00%	294.95
33	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	114/21.06.22	बजरी	40800	1.00%	408.00
34	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	115/21.06.22	बजरी	46750	1.00%	467.50
35	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	121/21.06.22	बजरी	7650	1.00%	76.50
36	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	113/21.06.22	बजरी	62050	1.00%	620.50
37	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	116/21.06.22	बजरी	106250	1.00%	1062.50
38	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	117/21.06.22	बजरी	106250	1.00%	1062.50
39	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	122/21.06.22	बजरी	46920	1.00%	469.20
40	सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री तोलु राम गाँव चलगाह डाकघर कथोग जिला मंडी	124/12.07.22	बजरी	76925	1.00%	769.25
						21838.40